रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

530] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1989/भाद्र 3, 1911
530] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1989/BHADRA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1989

का.आ. 671(अ) :—कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार कर्मचारियों की सेवा की और लेखाओं का अनुरक्षण) उपविधि, 1955 का और संशोधन करने के लिए कयर

उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर बोर्ड द्वारा बनाई गई और उक्त अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि की गई निम्नलिखित उपविधियो प्रकाशित की जाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) (संशोधन) उपविधि, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।

2. कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) उपविधि, 1955 में उप-विधि 14 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) गैर-सरकारी सदस्य-भारत सरकार के श्रेणी I के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते" ।

[सं. 7(58)/88-कयर]

जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

अधिसूचना सं. 42-एस ए.आई. (34)/54, तारीख 15 जनवरी, 1955 का निम्नलिखित संशोधन किया गया :—

(1) अधिसूचना सं. एफ० 42/एस एस आई (बी) 34/55, तारीख 15-1-1955 ।

(2) अधिसूचना सं. 42-एल आई (बी) 34/55, तारीख 12-7-1956 ।

(3) अधिसूचना सं. 42-एस एस आई (ई) 34/55, तारीख 19-10-1957 ।

(4) अधिसूचना सं. 15(1) टेक्स्ट.(ई)/67/टेक्स्ट (डी.) तारीख 21-7-1969 ।

(5) अधिसूचना सं. 24(2)-76-आई.सी.सी. (कयर), तारीख 9-9-1976 ।

(6) का.आ.सं. 369, तारीख 23-5-1989 ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development).

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 1989

S.O. 671(E).—The following bye-laws further to amend the Coir Board ansaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance Accounts) Bye-laws, 1955, made by the Coir Board, in exercise of powers ferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and coned by the Central Government, are hereby published as required by subion 2 of said Act, namely :—

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) (Amendment) Bye-laws, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of ployees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955, for sub-clause (b) clause (1) of bye-law 14 the following shall be substituted, namely :—

"(b) Non-official members—Travelling and daily allowances at the rates admissible to Grade I Officers of the Government of India."

[F. No. 7 (58)|88-COIR]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

ot Note :—Notification No. 42-SSI (34)|54, dated the 15th January, 1955 has been amended vide :—

(1) Notification No. F. 42|SSI (B) 34|55, dated 15-1-1955.

(2) Notification No. 42-LI (B) 34|55, dated 12-7-1956.

(3) Notification No. 42-SSI (E) 34|55, dated 19-10-1957.

(4) Notification No. 15 (1) Text(E) |67|Text (D), Dated 21-7-1969.

(5) Notification No. 24 (2) -76-ICC (Coir), dated 9-9-1976.

(6) S. O. No. 369, dated 23-5-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989